रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2008/माघ 24, 1929
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2008/MAGHA 24, 1929

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 11 फरवरी, 2008

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा. विनियम/3/44/2008.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (41 का 1999) की धारा 26 के साथ पठन करते हुए और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियमन, 2002 जिसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2000 को जारी हुई तथा भारत के राजपत्र फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./26/2003/दिनांक 26 फरवरी, 2003 को भारत के द्वारा संशोधन जारी हुआ, अर्थात् :

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

(1) इन विनियमों को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 के नाम से पुकारा जायेगा।

(2) ये प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. संरचनात्मक सुविधा जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) की वाक्यांश एन विनियमन 2 में, परिभाषित है उसे अधोलिखित से परिवर्तित किया जाता है :

(i) सड़क में शामिल हैं टोल सड़क, सेतु, अथवा रेलवे प्रणाली।

(ii) हाईवे प्रोजेक्ट तथा उसकी अविभाज्य गतिविधियां हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल होंगी।

(iii) पत्तन, विमानपत्तन, आन्तरिक जलमार्ग, अथवा आंतरिक पत्तन।

(iv) जल आपूर्ति प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट, जल-उपचार प्रणाली, जल मल प्रणाली, अथवा कठोर अपशेष प्रबन्ध प्रणाली।

(v) टेलीकम्यूनिकेशन सेवा जिसमें मूल तथा सेलूलर, रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा (जब उपग्रह को भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व तथा परिचालन टेलीकम्यूनिकेशन सेवा प्रदान करने के लिए किया जाए)

(vi) औद्योगिक क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र।

(vii) उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन तथा वितरण।

(viii) पारेषण लाइन अथवा विद्युत का वितरण नई पारेषण लाइन का जाल-तंत्र अथवा वितरण लाइन को डालते हुए।

(ix) कृषि प्रसंस्कृत तथा कृषि की निविष्टियों की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट का भवन-निर्माण।

(x) जल्द बिगड़ने वाले कृषि पदार्थ जैसे फलों, सब्जियों तथा फूलों के लिए भंडारण, परीरक्षित प्रसंस्कृत करने के लिए, जिसमें गुण परख सुविधा शामिल है का भवन-निर्माण।

(xi) शिक्षा संस्थान तथा अस्पतालों का भवन-निर्माण ।

(xii) अन्य इसी प्रकृति की कोई सार्वजनिक सुविधा जिसको प्राधिकरण द्वारा अधिकारिक राजपत्र में घोषित किया जायेगा ।

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./161/08]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 11th February, 2008

Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations, 2008

F. No. IRDA /Reg /3/ 44/2008.— In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, notified on July 14, 2000 in the Gazette of India and amended on February 26, 2003 in the Gazette of India F.No. IRDA/Reg/26/2003, namely:—

1. **Short title and commencement**

(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. 'Infrastructure facility' as defined in clause (h) of Regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, shall be amended to read as follows:

(i) a road, including toll road, a bridge or a rail system;

(ii) a highway project including other activities being an integral part of the highway project;

(iii) a port, airport, inland waterway or inland port;

(iv) a water supply project, irrigation project, water treatment system, sanitation and sewerage system or solid waste management system,

(v) telecommunication services whether basic or cellular, including radio paging, domestic satellite service (i.e., a satellite owned and operated by an Indian company for providing telecommunication service), network of trunking, broadband network and internet services,

(vi) an industrial park or special economic zone;

(vii) generation or generation and distribution of power;

(viii) Transmission or distribution of power by laying a network of new transmission or distribution lines;

(ix) construction relating to projects involving agro-processing and supply of inputs to agriculture;

(x) construction for preservation and storage of processed agro-products, perishable goods such as fruits, vegetables and flowers including testing facilities for quality;

(xi) construction of educational institutions and hospitals;

(xii) any other public facility of similar nature as may be notified by the Authority in this behalf in the Official Gazette.

C. S. RAO, Chairman

[Advt. III/4/Exty./161/08]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.